दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद, जिला– बालोद (छ.ग.)
पंजीयन क्रमांक – डी.आर./डी.आर.जी./145

पेराई सत्र 2019–20
शक्कर एक्सपोर्ट निविदा प्रारूप फार्म

निविदा फार्म दिनांक 04/03/2020 अपरान्ह 01 बजे तक जमा होगा, एवं दिनांक 04/03/2020 अपरान्ह 1.30 बजे के बाद खोला जावेगा।

फार्म का मूल्य– 1000/–एक हजार रू. मात्र)

<u>दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद</u>

<u>शक्कर निर्यात हेतु निविदा प्रपत्र</u>

<u>व्यावसायिक भाग (लिफाफा तीन में रखे)</u>

प्रति,

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्या. बालोद।

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद द्वारा शक्कर एक्सपोर्ट हेतु जारी निविदा क्रमांक 695 में उल्लेखित विवरण के आधार पर शक्कर क्रय हेतु मेरे द्वारा तकनीकी भाग (लिफाफा –दो) में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाकर कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है और अब इस प्रत्रक के माध्यम से निचे उल्लेखित अनुसार मात्रा उनके सामने अंकित दर पर क्रय करने के लिए निविदा प्रस्तुत किया जा रहा है।

01 – <u>विक्रय सामग्री का विवरणः–</u>

क्रमांक	उत्पादित वर्ष	शक्कर निर्यात (एक्सपोर्ट) हेतु प्रस्तावित मात्रा लगभग है जो कम/ज्यादा हो सकती है पेकिंग पी.पी.बैग में	विक्रय हेतु प्रस्तावित शक्कर का ग्रेड
1	2019–20	13460 क्विंटल	S -30

02– <u>जमा की गई अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरणः–</u>

1. RTGS/NEFT क्र .... दिनांक ....
1. RTGS/NEFT राशि रूपये – ....
2. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता– ....

03– शक्कर एक्सपोर्ट हेतु प्रस्तावित मात्रा एवं दरः–

क्रमांक	उत्पादित वर्ष	शक्कर निर्यात (एक्सपोर्ट)हेतु प्रस्तावित शक्कर का ग्रेड	शक्कर निर्यात(एक्सपोर्ट) हेतु प्रस्तावित मात्रा	दर प्रति क्विं. में समस्त टेक्स रहित
1	2019–20	**S -30** पी.पी.बैग		

04– व्यवसायी / फर्म का विवरणः–

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता – ....

2. मालिक / संचालक का नाम ....

3. दूरभाष / मोबाईल नम्बर ....

4. ई–मेल नम्बरः– ....

5. फर्म का जी.एस.टी. क्रमांक ....

6. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित ....

7. खाद्य विभाग से जारी लाईसेंस की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित वैधता तिथि सहित ....
वैधता तिथि ....

8. निविदाकार का स्वयं स्वयं के नाम शक्कर निर्यात का लाईसेंस प्रमाण पत्र / पंजीयन होना अनवार्य है।

जारी लाईसेंस की छाया प्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित तथा वैधता तिथि सहित ....

05– प्रतिनिधि का विवरण :–

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता – ....

....

निविदाकार / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

<u>दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद</u>

<u>शक्कर एक्सपोर्ट हेतु निविदा प्रपत्र</u>

(निविदा फार्म तीन भागों में है जिसमें प्रथम भाग ईएमडी जिसे लिफाफा – एक में रखा जायेगा और दूसरे भाग में तकनिकी भाग जिसे लिफाफा दो में रखा जायेगा तथा तीसरे भग में व्यवसायिक भाग दो जिसे लिफाफा तीन में रखकर मोहरबंद प्रस्तुत किया जायेगा। नाम दिया गया है। निविदाकार लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से लिफाफा– एक और लिफाफा – दो और लिफाफा – तीने अवश्य लिखे। प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फर्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

<u>अमानत/ईएमडी राशि – लिफाफा एक में रखे</u>

निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में एक्सपोर्ट हेतु प्रस्तावित की गई शक्कर मात्रा हेतु ई.एम.डी. के रूप में 500000रू. (शब्दो में पांच लाख रूपये मात्र) RTGS/NEFT के माध्यम सें दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद के **भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 30357491679 आई. एफ.एस.सी.कोड SBIN003753** में जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. की राशि जमा नहीं होने पर निविदा निरस्त की जावेगी।

1. RTGS/NEFT क्र .... दिनांक ....
2. RTGS/NEFT राशि रू...
3. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता– ....

<u>तकनीकी भाग लिफाफा दो में रखे</u>

प्रति,

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्या. बालोद।

आपके कारखाना द्वारा प्रकाशित निविदा क्रमांक 695 दिनांक **27/02/2020** के निविदा प्रपत्र के व्यावसायिक भाग में (लिफाफा –तीन) दर्शाए अनुसार शक्कर एक्सपोर्ट की मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर क्रय करने हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मै/मेरे फर्म द्वारा शक्कर क्रय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के साथ ही दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

01–A– <u>व्यवसायी/फर्म का विवरण–</u>

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता – ....

2. मालिक/संचालक का नाम ....

3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....

4. ई–मेल नम्बर ....

5. फर्म का जी.एस.टी. क्रमांक ....

6. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित ....

7. खाद्य विभाग से जारी लाईसेंस की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित वैधता तिथि सहित .... वैधता तिथि ....

8. निविदाकार का स्वयं स्वयं के नाम शक्कर निर्यात का लाईसेंस प्रमाण पत्र/पंजीयन होना अनवार्य है। जारी लाईसेंस की छाया प्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित तथा वैधता तिथि सहित .... वैधता तिथि ....

9. ई.एम.डी. जमा करने संबंधी प्रमाण स्वरूप UTR NO/जमा पावती की मूल प्रति ....

10. फर्म द्वारा कितने फैक्ट्रीयों से शक्कर एक्सपोर्ट का कार्य किया गया है.. जिसका विवरण एवं छायाप्रति प्रस्तुत संलग्न करें।

01—(एक) — व्यवसायी / फर्म के प्रतिनिधि का विवरण:—

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में विवरण निम्नानुसार दिया जावें :—

1. **प्रतिनिधि का नाम व पता —** ....

....

2. **दूरभाष / मोबाईल नम्बर** ....

3. **ई—मेल नम्बर** ....

4. **व्यवसाय एवं पता** ....

मैं दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद द्वारा जारी निविदा क्रमांक 695 दिनांक 26 / 02 / 2020 के लिए श्री / मेसर्स ....

पता ....

की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूॅं। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में लिफाफा दो में संलग्न कर रहा हूॅं। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है। मैने शक्कर एक्सपोर्ट से संबंधित नियमों / शर्तो को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म / व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मैं जिम्मेदार रहूॅंगा।

निविदाकार / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

02 – निविदाकार का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना–

निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने हेतु तीन लिफाफे का उपयोग करना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफा "लिफाफा – एक" में ईएमडी राशि, दुसरे लिफाफे "लिफाफा – दो" में फर्म से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज फर्म का नाम जीएसटी नं. लाईसेस प्रमाण पत्र तथा तिसरे लिफाफे "लिफाफा – तीन" निविदा दर संबधित प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। तीनो ही लिफाफे मुहरबंद होना चाहिए।

प्रबंध संचालक/निविदा कमेटी द्वारा अधिकृत समिति द्वारा सर्वप्रथम लिफाफा एक खोला जायेगा। जिसके सही पाये जाने पर ही लिफाफा दो खोला जायेगा।

03– निविदा की शर्तेः–

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद से शक्कर एक्सपोर्ट करने वाले फर्म/व्यवसायी का नीचे उल्लेखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

01. निविदाकार द्वारा शक्कर एक्सपोर्ट करने हेतु खाद्य विभाग एवं केन्द्र सरकार से जारी वैध लाईसेंस जिसमें शक्कर एक्सपोर्ट का उल्लेख हो। जिसकी अवधि छः माह तक वैध हो। छायाप्रति निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं फर्म का मोहर के साथ सत्यापित जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
02. जीएसटी नंबर की छायाप्रति जिसमें निविदाकार का हस्ताक्षर एवं फर्म का मोहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
03. निविदाकार का स्वयं के नाम का शक्कर निर्यात का लाईसेंस प्रमाण पत्र/पंजीयन होना अनिवार्य है। जिसकी वैधता अगामी छः माह तक का होना अतिआवश्यक है।
04. शक्कर की यह मात्रा डोमेस्टिक(घरेलू बाजार में) विक्रय के लिये नही है। केवल निर्यात (एक्सपोर्ट) के लिये मान्य होगी।
05. शक्कर क्रय करने के लिए भाव पत्र ग्रेड एस–30 का लगभग **13460 क्विं.मात्रा की होगी।** जो शर्करा निर्देशालय नई दिल्ली से प्राप्त आंबटन पर आधारित होगा।
06. पेराई सत्र 2019–20 में उत्पादित शक्कर का ही एक्सपोर्ट किया जायेगा। जिसकी वजन 50कि. ग्राम है। जो पीपी बैग में पैकिंग किया गया है।
07. निविदा में उचित दर प्राप्त नही होने की स्थिति में कमेटी द्वारा निविदाकार के साथ निगोशियेशन किया जा सकता है। जो कि अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। एवं सभी निविदाकारो को निविदा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
08. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्ते/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नही करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे स्वीकार नही किया जायेगा।

09. शक्कर निर्यात (एक्सपोर्ट) हेतु निविदा फार्म में केवल एक ही दर प्रस्तुत करे एक से अधिक दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. निविदा में दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। काट–छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

11. निविदा फार्म दिनांक **27/02/2020 से** दिनांक **03/03/2020 को सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक प्राप्तकर दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद जिला बालोद छ. ग. से राशि 1000/– (एक हजार) नगद/आरटीजिएस/एनईएफटी/डीडी के माध्यम से जमकार निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है।**

12. निविदा दिनांक **04/03/2020 को दोपहर 1.00 बजे** के पश्चात् **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16 पार्क स्ट्रीट–3 चौबे कालोनी रायपुर छ.ग.** में निविदा फार्म जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय के पश्चात् निविदा स्वीकार नही किया जायेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदा को दोपहर 1.30 बजे पश्चात् विक्रय समिति/निविदाकारो के समक्ष खोला जायेगा। जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

13. निविदाकार द्वारा ईएमडी की राशि जमा के उपरान्त ही निविदा मान्य किया जायेगा।

14. ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा तकनिकी भाग में क्वालीफाइ नही किया गया है। उन फर्मो का प्राइज बीड–3 नही खोला जायेगा एवं उनके निविदा अमान्य कर दी जायेगी।

15. निविदाकार को शक्कर उठाव से पहले आदेशित मात्रा की सब्सिडी राशि 10448रू. प्रति मि.टन का बैंक गारण्टी या एफडीआर कारखाने के पक्ष में देना अनिवार्य होगा। जो निर्यात पश्चात् सब्सिडी क्लेम करने हेतु वांछित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विमुक्त किया जावेगा।

16. शक्कर निर्यात हेतु सभी औपचारिकताए एवं अनुमति लेने की समस्त जिम्मेदारी शक्कर निर्यातक की होगी।

17. निविदा दर स्वीकृत होने पर निविदाकार को एक्सपोर्ट हेतु प्रस्तावित शक्कर मात्रा की सम्पूर्ण राशि अनिवार्यतः दिनांक 15**/04/2020 एवं आदेशित सम्पूर्ण शक्कर मात्रा का उठाव दिनांक 30.04.2020 तक किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्यातक शक्कर की राशि आरटीजिएस/एनईएफटी/डीडी के** माध्यम से दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद के नाम **भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 30357491679 आई.एफ.एस.सी.कोड SBIN003753** में जमा करना अनिवार्य होगा।

18. शक्कर की राशि का भुगतान अग्रीम किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में लोडिंग नही किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निर्यातक की होगी।

19. शक्कर निर्यात की राशि जमा एवं उठाव हेतु समय की गणना जारी आदेश से शासकीय एवं सप्ताहिक अवकाश के दिनों को मिलाकर की जायेगी।

20. निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरान्त उसका पुरा नाम पता एवं किस हैसियत से जैसा की स्वामी, भागीदार, मुस्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत

की जाती है। तो इस संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित अधिकार पत्र के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापित अधिकार पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अगर कम्पनी/समिति द्वारा अधिकार पत्र जारी किया जाता है तो अधिकार पत्र पर सभी भागीदारो के नाम सहित फर्म/कम्पनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षरमय सील होना अनिवार्य होगा। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम पता फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

21. निविदाकार को शासन के नियमानुसार प्रचलित सभी जीएसटी/कर/शुल्क का भुगतान पृथक से करना अथवा शक्कर निर्यात के संबंध में जीएसटी/एक्साईज विभाग से जारी आवश्यक दस्तावेज निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तथा शक्कर की डिलवरी शक्कर कारखाना/गोदाम से "जो है, जैसा है" कि स्थति में दी जावेगी।
22. शक्कर की डिलवरी लोडिंग/बिलिंग वाहनो में लदी नमबर आफ बैंग की मात्रा को धरम कांटे में प्राप्त कुल वजन ± 50 किलो ग्राम के आधार पर किया जायेगा। तथा डिलेवरी हेतु वाहनों का प्रवेश सुबह 10.30 बजे से 3.30 बजे एवं निगर्मन शाम 5.30 बजे तक किया जायेगा।
23. शक्कर डिलेवरी लेते समय पार्टी स्वंय या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाड़ी लोड करावे। विक्रय किया हुआ शक्कर कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
24. छ.ग. शासन के परिवहन के निर्देशानुसार शक्कर की डिलवरी वाहन की पासिंग क्षमता के अनुरूप पेपर देखने के पश्चात् डिलवरी प्रदान की जावेगी।
25. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश मूल्य निर्धारण कर/टेक्स/शेष का भुगतान शासन के नियमानुसार प्रचलित दर से निर्यातक द्वारा देय होगा। यदि शासन द्वारा भविष्य में न्यूनतम शक्कर विक्रय मूल्य अथवा टेक्स में वृद्धि की जाती है। दर एवं टेक्स की भावान्तर राशि क्रेता द्वारा देय होगा।
26. शक्कर की डिलवरी हेतु प्रत्येक गाड़ी की बिल्टी गाड़ी के साथ लाना अनिवार्य होगा। बिल्टी प्रस्तुत करने के पश्चात् ही गाड़ी लोडिंग करने हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी।
27. विक्रय की गई सम्पूर्ण शक्कर की राशि जमा एवं उठाव निर्धारित समय में नही होने पर जमा ई.एम.डी. राशि राजसात एवं आदेश निरस्त के संबंध में प्रबंधन/टेण्डर कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।
28. क्रय की गई सम्पूर्ण शक्कर की उठाव नियमित रूप से प्रतिदिन करनी होगी। उठाव समय में नही होने पर किसी प्रकार के अर्थिक व्यय एवं क्षति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी एवं ईएमडी राशि जब्तकर ली जायेगी।
29. जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जायेगी बिल उसी के नाम से बनेगा।
30. कारखाने से निर्यात हेतु शक्कर उठाव के पूर्व एक्साईज/जिएसटी विभाग से टैक्स के संबंध में आवश्यक दस्तावेज सीटी–1 बॉड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

31. निर्यात हेतु कारखाने से डिलवरी/उठाव की गई शक्कर मात्रा को यदि किसी कारणवश निर्यातक द्वारा निर्यात कर पाने में असफल होता है तो ऐसे शक्कर मात्रा की राशि का भुगतान अनुबंधित निर्यात दर एवं तात्कालिक बाजार मूल्य के मध्य भावांतर राशि की भुगतान निर्यातक द्वारा कारखाने को दिया जाना अनिवार्य होगा।
32. किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में कार्यालयीन क्षेत्राधिकार जिला बालोद, सहकारी क्षेत्र के समक्ष न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत होगा।
33. शक्कर विक्रय की मात्रा कम या अधिक करने का अधिकार कारखाना प्रबंधन की होगी।
34. ईएमडी की राशि का शक्कर बिक्री के बिल में समायोजन/भुगतान शक्कर की सम्पूर्ण मात्रा का उठाव के पश्चात् ही ईएमडी की राशि वापस/समायोजित की जावेगी।
35. शक्कर लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य क्रेता के द्वारा किया जायेगा।
36. कारखाने से निर्यात हेतु उठाव की गई सम्पूर्ण शक्कर की मात्रा की निर्यात संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेज जो भारत सरकार शर्करा निर्देशालय नई दिल्ली से शक्कर निर्यात पर अनुदान प्राप्ति हेतु आवश्यक/वाछिंत हो। शक्कर उठाव से 90 दिवस के भीतर कारखाने में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
37. उक्त जानकारी कारखाने के वेबसाईड www.dmsskm.com पर उपलब्ध है।
38. इस फार्म की 1 से 37 तक की नियम व शर्ते पूर्णतः समझ कर मेरे द्वारा निविदाफार्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया हैं।

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

नाम...

पता...

....

फर्म का मोहर...

04 – **प्रबंध संचालक का अधिकार–**

प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति को निम्नानुसार अधिकार होगाः–

1 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगोशियेसन संबंधी संपूर्ण अधिकार।

2 प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

3 फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जब्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष शक्कर की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार।

4 किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शक्कर कारखाना द्वारा शक्कर निर्यात(एक्सपोर्ट) हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा शक्कर क्रय हेतु निविदाकर लिफाफा – तीन व्यवसायिक भाग पर प्रस्तुत किया जा रहा है

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

दिनांक .... **नाम** ....

पता ....

फर्म का मोहर.....................................